UPKS010019932026

Bail Application/670/2026

Chandrashekhar Vs. State Goverment of UP
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-3/विशेष न्यायाधीश
(एन.डी.पी.एस. एक्ट), कौशाम्बी।

1 चंद्रशेखर पुत्र स्व० रामप्रसाद निवासी ग्राम अहिरारा मजरा बरमतपुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मु.अ.सं.-70/2026
धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना-कड़ाधाम
जनपद-कौशाम्बी।

दिनांक 11.06.2026

1 यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **चंद्रशेखर पुत्र स्व० रामप्रसाद** द्वारा जरिये अधिवक्ता उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक-27.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

2 जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रकाश पुत्र चंद्रशेखर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2026 को वादी उ०नि० सुनील कुमार सिंह मय हमराहीगण देखभाल क्षेत्र में मामूर था। तभी शीतल मैरिज हाल के पास कंपोजिट शराब की दुकान के पास अभियुक्त दिखा तथा संदिग्ध होने के कारण जब उसको समय 22.20 बजे पकड़ा गया तो उसके पास से कुल 1 किलो 180 ग्राम गांजा बरामद किया गया तथा यह बरामदगी क्षेत्राधिकारी सिराथू के समक्ष की गयी थी। फर्द मौके पर तैयार की गयी तथा सर्व संबधित के हस्ताक्षर बनवाये गये।

4 प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित किया गया कि वह पूर्णतया निर्दोष हैं, उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी से कोई गांजा बरामद नहीं हुआ। धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट का पालन नहीं किया गया। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी को जहां से पकड़ना बताया जा रहा है वह लखनऊ मंझनपुर मार्ग है और उस रास्ते से रात्रि भर लोगों का आना जाना लगा रहता है लेकिन अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत संबंधी

Digitally signed by FARIDA BEGUM
Date: 2026.06.12 10:13:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उसे जमानत दिये जाने की याचना की गयी है।

5 अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त शातिर किस्म के बदमाश है तथा वह अवैध गांजा की तस्करी करते हैं। अवैध गांजा की तस्करी करना गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6 उभयपक्ष को सुना गया एवं उपलब्ध करायी गयी समस्त सामग्रियों का अवलोकन किया गया।

7 प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फर्द के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त प्रकरण में पुलिस पार्टी द्वारा राजपत्रित अधिकारी क्षेत्राधिकारी सिराथू की उपस्थिति में कुल 1.180 kg नाजायज गांजा बरामद किया गया है। गॉजा के सम्बन्ध में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत न्यूनतम मात्रा 01 किलोग्राम व कामर्शियल मात्रा 20 किलोग्राम है। अभियुक्त के पास से बरामद गांजा का वजन 1 किलो 180 ग्राम है। अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से जेल में निरूद्ध है तथा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी दर्शित नहीं किया गया है।

8 अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, केस डायरी में आये साक्ष्य, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में मामले के गुण-दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9 अभियुक्त **चंद्रशेखर पुत्र स्व० रामप्रसाद** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0-1,00,000/- (एक लाख रूपये) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर निम्न शर्तो पर रिहा किया जाये-

i यह कि आवेदक/अभियुक्त इस आशय की अण्डरटेकिंग देगा कि साक्ष्य हेतु नियत किसी भी तिथि पर साक्षी के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा। यदि ऐसा किया जायेगा तो जमानत का उल्लंघन समझकर विधि अनुसार आदेश पारित किया जायेगा।

ii यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत् रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा और बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

iii यह कि दौरान विचारण आवेदक/अभियुक्त किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा, गवाहों को डरायेगा-धमकायेगा नहीं और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(कु० फरीदा बेगम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-3/
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
कौशाम्बी।
आई 0 डी0 नं0-यू0 पी0 1541